तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख
3/4/18	उपस्थित पत्रावली वादी 4.6.18 गठित आदेश दिनांक [illegible] की पालना में पत्रावली धारा [illegible] को पेश हो। [illegible] दिनांक 26/6/18 जारी करें उपखण्ड अधिकारी [illegible]	CA 2220 / 567
26/6/18 वकील मावक आदेश	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रति० 1, 2 उपस्थित। वकील प्रति० उपस्थित। बहुलाह को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा वादी [illegible] से डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है। अतः दावा [illegible] से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट हल्का से तलब हो। [illegible] कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 30/6/18 को पेश हो। SDO	
30/6/18	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। बहुलाह उपस्थित। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहुलाह को सुना गया। दावा वादी [illegible] से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] किया गया। [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] से [illegible] हो। सुनाया। SDO	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/94/17

बउनवान

1. सीयाराम पुत्र रतनलाल जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर

--- वादी

वनाम

1. रमेश पुत्र रामजीलाल जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
2. बलराम पुत्र जगदीश जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
3. मुकेश पुत्र जगदीश जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
4. मुरलीधर पुत्र रामधन जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
5. मनोहरलाल पुत्र रामधन जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
6. पप्पू उर्फ रूपनारायण पुत्र रामहेत जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
7. मानसिंह पुत्र रामहेत जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
8. अमरसिंह पुत्र रामकिशोर जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
9. नीलम पत्नी अरविन्द पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राह्मण निवासी समूची तहसील कठूमर
10. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी व मशवरे

उपस्थित :

श्री रामजीलाल शर्मा :– अधिवक्ता वादी

श्री मानसिंह चौधरी :– अधिवक्ता प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 30.06.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.03 हे0, 1321 रकबा 0.23 हे0, 1335 रकबा 0.38 हे0, 1348 रकबा 0.34 हे0, 1377 रकबा 1.04 हे0, 1378 रकबा 1.16 हे0, 1388 रकबा 0.54 हे0, 1389 रकबा 0.10 हे0, 1390 रकबा 0.03 हे0, 1391 रकबा 0.61 हे0, 1392 रकबा 0.24 हे0, 2043 रकबा 0.38 हे0 , 2044 रकबा 1.94 हे0, वाके ग्राम बंगन का नंगला तहसील कठूमर में स्थित है विवादित आराजी खसरा नम्बर 1320, 1321,1335,1348,1377,1378,1388,1389,1390,1391,1392,2043 में वादी का 1/4 एवं 2044 में वादी का 1/8 हिस्सा है। उक्त आराजी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पावन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर व विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन करने पर दावा वादी दिनांक 26.06.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिकी किया गया तथा तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी की कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट हाजिर अदालत होकर पेश की है जो शामिल पत्रावली है। प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर आपत्ति/वहस अधिवक्ता उभय पक्ष पर मनन किया। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में अनुरोध किया कि खसरा नम्बर 2010 व 1337 वादी एंवं प्रतिवादी की शामलाती भूमि है जो यद्यपि वादपत्र का हिस्सा नहीं है परन्तु इसकी भी तकसीम की जावे। वादपत्र में अंकित खसरा नम्बरान से भिन्न भूमि की कुर्रेजात प्रस्ताव व तकसीम स्वीकार नहीं है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 ने खसरा नम्बर 2043 पर अपना तन्हा कब्जा होना बताया एवं कुर्रेजात में शामलाती

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

रखने पर आपत्ति पेश की है। अधिवक्ता वादी ने खसरा नम्बर 2043 पर मुताबिक हिस्सा अपना कब्जा कास्त होना बताते हुये इस खसरा नम्बर के विभाजन प्रस्ताव तलव करने का अनुरोध किया। खसरा नम्बर 2043 पर कब्जे बावत वादी एवं प्रतिवादी में मतभेद होने के कारण इसे मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव शामलात रखना उचित है। खसरा नम्बर 2044 के विभाजन प्रस्ताव में रमेश वगै0 व सीयाराम वगै0 के हिस्से के पूर्व तर्फ प्रस्तावित शामलात भूमि वास्ते रास्ता पर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 ने आपत्ति पेश की कि वादी सीयाराम का आवागमन दक्षिण की तर्फ ग्रेवल सडक तक है उत्तर की ओर आवागमन नहीं है। चूंकि खसरा नम्बर 2043 समूची खेडली डामर सडक से सटता हुआ है एवं शामलाती प्रस्तावित किया गया है अतः न्यायहित में सभी पक्षकारों को पक्की सडक तक मुक्त आवागमन उपलब्ध कराने के लिये खसरा नम्बर 2044 के पूर्व साईड में , उत्तर से दक्षिण तक एक पट्टी शामलाती रकबा 0.06 हे. तकसीम में दिया जाना उचित होगा। खसरा नम्बर 2044 में से प्रत्येक पक्षकार को 0.47 हे. भूमि तन्हा दिया जाता है। अन्य खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है जो मुताबिक कुर्रेजात रिर्पोट तस्दीक किया जाता है। अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट के अंतिम रूप से डिकी किया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1348 तर्फ पश्चिम रकबा 0.23 हे0, खसरा नम्बर 1377 तर्फ उत्तर रकबा 0.64 हे0, खसरा नम्बर 1378 तर्फ उत्तर रकबा 0.28 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.15 हे. सीयाराम पुत्र रतनलाल कौम अहीर राहिन आरजीबी खेरली को, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.03 हे0, खसरा नम्बर 1321 रकबा 0.23 हे0, खसरा नम्बर 1378 तर्फ दक्षिण रकबा 0.88 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.14 हे0 रमेश पुत्र रामजीलाल को 1/2 हिस्सा राहिन केनरा बैंक खेरली, बलराम,मुकेश पिता जगदीश को 1/2

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

हिस्सा राहिन पीएनबी समूची को, खसरा नम्बर 1335 तर्फ पश्चिम रकबा 0.25 हे0, खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.49 हे0, खसरा नम्बर 1377 तर्फ दक्षिण रकबा 0.40 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.14 हे. मुरलीधर,मनोहरलाल पिता रामधन राहिन पीएनबी खेरली को, खसरा नम्बर 1335 तर्फ पूर्व रकबा 0.13 हे0, खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.11 हे0, खसरा नम्बर 1388 रकबा 0.54 हे0, खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.24 हे0, खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.12 हे0 कुल किता 5 रकबा 1.14 हे. पप्पू उर्फ रूपनारायण, मानसिंह पिता रामहेत समान भाग को 1/2 हिस्सा,अमरसिंह पुत्र रामकिशोर को 1/2 हिस्सा कौम अहीर राहिन अमरसिंह पीएनबी खेरली को, खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.03 हे0, खसरा नम्बर 1389 रकबा 0.10 हे0, खसरा नम्बर 2043 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.51 हे. रमेश पुत्र रामजीलाल को 1/8 हिस्सा, बलराम,मुकेश पिता जगदीश को 1/8 हिस्सा,सीयाराम पुत्र रतनलाल राहिन आरजीबी खेरली को 1/4 हिस्सा, मुरलीधर,मनोहरलाल पिता रामधन राहिन पीएनबी खेरली को 1/4 हिस्सा, पप्पू उर्फ रूपनारायण,मानसिंह पिता रामहेत को 1/8 हिस्सा,अमरसिंह पुत्र रामकिशोर राहिन पीएनबी खेरली को 1/8 हिस्सा कौम अहीर राहिन रमेश केनरा बैक खेरली, बलराम,मुकेश पीएनबी समूची, खसरा नम्बर 2044 तर्फ उत्तर मध्य रकबा 0.47 हे0 सीयाराम पुत्र रतनलाल को 1/2 हिस्सा कौम अहीर, नीलम पत्नी अरविन्द कुमार को 1/2 हिस्सा कौम ब्राह्मण राहिन मुता जमाबंदी बदस्तुर, खसरा नम्बर 2044 तर्फ उत्तर रकबा 0.47 हे0 रमेश पुत्र रामजीलाल को 1/2 हिस्सा, बलराम,मुकेश पिता जगदीश को 1/2 हिस्सा कौम अहीर राहिन मुता0 जमाबंदी बदस्तुर, खसरा नम्बर 2044 तर्फ दक्षिण मध्य रकबा 0.47 हे0 मुरलीधर, मनोहर पिता रामधन कौम अहीर राहिन मुता0 जमाबंदी बदस्तुर, खसरा नम्बर 2044 तर्फ दक्षिण रकबा 0.47 हे0 पप्पू उर्फ रूपनारायण,मानसिंह पिता रामहेत कौम अहीर राहिन मुता0 जमाबंदी बदस्तुर, खसरा नम्बर 2044 तर्फ पूर्व रकबा 0.06 हे0 मुता0 जमाबंदी शामलात तकसीम में दिया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 30.06.2018 को यह निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1 / 94 / 17

बउनवान

1. सीयाराम पुत्र रतनलाल जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर

––– वादी

बनाम

1. रमेश पुत्र रामजीलाल जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
2. बलराम पुत्र जगदीश जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
3. मुकेश पुत्र जगदीश जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
4. मुरलीधर पुत्र रामधन जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
5. मनोहरलाल पुत्र रामधन जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
6. पप्पू उर्फ रूपनारायण पुत्र रामहेत जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
7. मानसिंह पुत्र रामहेत जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
8. अमरसिंह पुत्र रामकिशोर जाति यादव निवासी बंगन का नंगला तहसील कठूमर
9. नीलम पत्नी अरविन्द पुत्र भगवानसहाय जाति ब्राह्मण निवासी समूची तहसील कठूमर
10. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

–––– प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी व मशवरे

दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1348 तर्फ पश्चिम रकवा 0.23 हे0, खसरा नम्बर 1377 तर्फ उत्तर रकवा 0.64 हे0,

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 1378 तर्फ उत्तर रकबा 0.28 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.15 हे. सीताराम पुत्र रतनलाल कौम अहीर रहिन आरजीबी खेरली को, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.03 हे0, खसरा नम्बर 1321 रकबा 0.23 हे0, खसरा नम्बर 1378 तर्फ दक्षिण रकबा 0.88 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.14 हे0 रमेश पुत्र रामजीलाल को 1/2 हिस्सा रहिन केनरा बैंक खेरली, बलराम,मुकेश पिता जगदीश को 1/2 हिस्सा रहिन पीएनबी समूची को, खसरा नम्बर 1335 तर्फ पश्चिम रकबा 0.25 हे0, खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.49 हे0, खसरा नम्बर 1377 तर्फ दक्षिण रकबा 0.40 हे0 कुल किता 3 रकबा 1.14 हे. मुरलीधर,मनोहरलाल पिता रामधन रहिन पीएनबी खेरली को, खसरा नम्बर 1335 तर्फ पूर्व रकबा 0.13 हे0, खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.11 हे0, खसरा नम्बर 1388 रकबा 0.64 हे0, खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.24 हे0, खसरा नम्बर 1391 रकबा 0.12 हे0 कुल किता 5 रकबा 1.14 हे. पप्पू उर्फ रूपनारायण, मानसिंह पिता रामहेत समान भाग को 1/2 हिस्सा,अमरसिंह पुत्र रामकिशोर को 1/2 हिस्सा कौम अहीर रहिन अमरसिंह पीएनबी खेरली को, खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.03 हे0, खसरा नम्बर 1389 रकबा 0.10 हे0, खसरा नम्बर 2043 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.51 हे. रमेश पुत्र रामजीलाल को 1/8 हिस्सा, बलराम,मुकेश पिता जगदीश को 1/8 हिस्सा,सीयाराम पुत्र रतनलाल रहिन आरजीबी खेरली को 1/4 हिस्सा, मुरलीधर,मनोहरलाल पिता रामधन रहिन पीएनबी खेरली को 1/4 हिस्सा, पप्पू उर्फ रूपनारायण,मानसिंह पिता रामहेत को 1/8 हिस्सा,अमरसिंह पुत्र रामकिशोर रहिन पीएनबी खेरली को 1/8 हिस्सा कौम अहीर रहिन रमेश केनरा बैंक खेरली, बलराम,मुकेश पीएनबी समूची, खसरा नम्बर 2044 तर्फ उत्तर मध्य रकबा 0.47 हे0 सीयाराम पुत्र रतनलाल को 1/2 हिस्सा कौम अहीर, नीलम पत्नी अरविन्द कुमार को 1/2 हिस्सा कौम ब्राह्मण रहिन मुता जमाबंदी बदस्तूर, खसरा नम्बर 2044 तर्फ उत्तर रकबा 0.47 हे0 रमेश पुत्र रामजीलाल को 1/2 हिस्सा, बलराम,मुकेश पिता जगदीश को 1/2 हिस्सा कौम अहीर रहिन मुता0 जमाबंदी बदस्तूर, खसरा नम्बर 2044 तर्फ दक्षिण मध्य रकबा 0.47 हे0 मुरलीधर, मनोहर पिता रामधन कौम अहीर

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

राहिन मुता0 जमाबंदी बदस्तुर, खसरा नम्बर 2044 तर्फ दक्षिण रकबा 0.47 है0 पप्पू उर्फ रूपनारायण,मानसिंह पिता रामहेत कौम अहीर राहिन मुता0 जमाबंदी बदस्तुर, खसरा नम्बर 2044 तर्फ पूर्व रकबा 0.06 है0 मुता0 जमावंदी शामलात तकसीम में दिया जाकर खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 30.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner